न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 81/2020
निर्णय दिनांकः– 25.09.2020

1. मुंशी पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक – प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
2. हेमराज पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
3. सावल्या पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कमलेश पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
5. मोहनलाल पुत्र अर्जुनजाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
6. हरकेश पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी भाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
7. ग्राम पंचायत पायगा जरिये सचिव ग्राम पंचायत पायगा।
8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री बेणी प्रसाद मीणा प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के सयुक्त एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण अपने पुर्वजों के समय से खातेदारी भूमि पर मुख्य सडक ख0न0 380 ग्राम भाखरगंज से बाबई जाने वाली सडक से होता हुआ ग्राम पंचायत पायगा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1180/379 पर से होता हुआ प्रतिपक्षी न.1 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 339 से सिवाईचक भुमि खसरा नम्बर 342 के बीच की मेड के सहारे–सहारे होकर अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आते जाते है तथा इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी अपने ट्रैक्टर ट्रोली व कृषि उपकरण उत्यादि लाते ले जाते रहे है।

प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर हकाई जुताई करने जाने लगा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को पूर्वजों के समय से निकल रहे रास्ते से आने जाने नही दिया तथा मुख्य सडक खसरा नम्बर 380 के बाद ग्राम पंचायत पायगा की आबादी भूमि ख0न0 1180/379 को अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 339 मे मिलाते हुए पत्थर के चीरे व तारबंदी करते हुए बंद कर दिया तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते से निकलने नही दिया, जिससे प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के रास्ते को बन्द कर देने के कारण प्रार्थीगण का अपने खेत पर आना जाना ही बंद हो गया है। उक्त आराजी पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 380 ग्राम भाखरगंज से बाबई जाने वाले वाली सडक से होता हुआ ग्राम पायगा की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 1180/379 पर से होते हुए प्रतिपक्षी न0 1 के खातेदारी भूमि के ख0न0 339 एवं सिवाईचक भूमि के ख0न0 342 के बीच की मेड के सहारे–सहारे की मेड पर पूर्व की भांति 12 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने की

Srevenue251a93

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

आदेश प्रदान करते हुए करते हुये प्रार्थीगण को नियमानुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण ने जरियें रजिस्ट्रर्ड एडी के सम्मन लेने से मना किया। जिसे शामिल पत्रावली किया यगा । प्रतिपक्षीगण बाद सूचना के प्रतिपक्षीगण अनुपस्थित । अतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । तहसीलदार उनियारा ने मौका रिपोर्ट तलब की गई मुताबिक मौका रिपोर्ट आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा पर जाने हेतु ख0न0 339 की पश्चिमी मेड व ख0न0 342 के उत्तरी पुर्वी मेड के सहारे–सहारे होते हुये लाल स्याही से डोटेड लाईन द्वारा दर्शाया गया है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। वादग्रस्त आराजी आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 380 ग्राम भाखरगंज से बाबई जाने वाले वाली सडक से होता हुआ ग्राम पायगा की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 1180/379 पर से होते हुए प्रतिपक्षी न0 1 के खातेदारी भूमि के ख0न0 339 एवं सिवाईचक भुमि के ख0न0 342 के बीच की मेड के सहारे–सहारे की मेड पर पूर्व की भांति 12 फीट चोडा रास्ते का आदेश प्रदान करते हुये प्रार्थीगण को नियमानुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व बहस का मनन किया गया। आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 380 ग्राम भाखरगंज से बाबई जाने वाले वाली सडक से होता हुआ ग्राम पायगा की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 1180/379 पर से होते हुए प्रतिपक्षी न0 1 के खातेदारी भूमि के ख0न0 339 एवं सिवाईचक भुमि के ख0न0 342 के बीच की मेड के सहारे–सहारे की मेड पर आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 380 ग्राम भाखरगंज से बाबई जाने वाले वाली सडक से होता हुआ ग्राम पायगा की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 1180/379 पर से होते हुए प्रतिपक्षी न0 1 के खातेदारी भूमि के ख0न0 339 एवं सिवाईचक भुमि के ख0न0 342 के बीच की मेड के सहारे–सहारे आते जाते थे किन्तु वर्तमान में उक्त आराजी पर आने जाने हेतु प्रतिपक्षी ने बंद कर दिया हैं। जिसके कारण रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 63 ख0न0 341 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 211 ख0न0 344 रकबा 0.12 है0, ख0न0 345 रकबा 0.48 हैं0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा पर आने जाने के लिये प्रतिपक्षी न0 1 की खातेदारी भूमि के ख0न0 339 की पश्चिमी मेड़ एवं सिवाईचक भुमि के ख0न0 342 की उत्तरी व पूर्वी मेड़ के सहारे–सहारे होते हुये 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे एवं राजकीय भूमि की राशि राजकोष में जमा कर उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Srevenue251a94